

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्य प्रदेश, ईदगाह हिल्स, भोपाल

क्रमांक-एक/स्था.1/26/2020/

2000

भोपाल, दिनांक 6/5/21

// आदेश //

श्री गिरीश राजौरिया का स्थानांतरण कलेक्टर भिण्ड द्वारा प्रेषित शिकायत तथा गृह जिले में पदस्थ होने के प्रस्ताव के आधार पर इस प्रशासन द्वारा कार्यालयीन आदेश क्रमांक एक/स्था.1/26/2020/3833, दिनांक 18.09.2020 के द्वारा प्रशासकीय आधार पर इनका स्थानांतरण कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला भिण्ड से कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला अनूपपुर किया गया था। जिससे व्यथित होकर इनके द्वारा एक रिट याचिका क्रमांक W.P.14163/2020 माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर में दायर की थी, उक्त याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :-

"this Court deems it appropriate to disposed of the petition with a direction to the petitioner to resubmit a detailed representation within a period of seven working days to the respondents - authorities who in turn are directed to dwell upon the representation and pass a self contained speaking order redressing the grievances of the petitioner and communicate the outcome to the petitioner within a period of 15 days from the date of receipt of the certified copy along with representation. Needless to say that this Court has not commented upon the merits of the case. The petition stands disposed of."

2. उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला भिण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि श्री गिरीश राजौरिया द्वारा दिनांक 22.09.2020 को कार्यमुक्त आदेश जारी करने के फलस्वरूप भी इनके द्वारा आदेश लेने से इंकार किया गया, तत्पश्चात कार्यमुक्ति आदेश की प्रति इनके निवास पर चस्पा की गई। श्री गिरीश राजौरिया द्वारा कार्यालय उपसंचालक, भिण्ड में अहस्ताक्षरित एवं बिना उपचार पर्ची के प्रस्तुत किया था, जिसे उपसंचालक द्वारा इस आशय के द्वारा वापिस किया गया कि वे अपना आवेदन पत्र नवीन पदस्थापना स्थल उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला अनूपपुर में प्रस्तुत करें। उक्त अनियमितताओं के फलस्वरूप श्री गिरीश राजौरिया को दिनांक 18.11.2020 को इस प्रशासन द्वारा निलंबित किया गया। तत्संबंध में दिनांक 05.01.2021 को आरोप पत्रादि जारी किए गए।

श्री गिरीश राजौरिया द्वारा पुनः एक रिट अपील क्रमांक 1142/2020 दायर की
1। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 01.12.2020 में निम्नानुसार निर्णय पारित किया
T :-

*"Meanwhile, till next date of hearing, effect and operation of impugned
order Annexure - P/1 dated 18/9/2020 passed by Joint Controller Food & Drugs
Administration, M.P. Bhopal shall remain stayed-' In case appellant has been
relieved, he shall be allowed to join back."*

4. पुनः श्री गिरीश राजौरिया द्वारा अभ्यावेदन का निराकरण न होने पर एक कंटेम्प्ट
पेटिशन क्रमांक 2124/2020 पंजीबद्ध करायी गई। उक्त कंटेम्प्ट पिटिशन एवं रिट अपील में
शासन पक्ष विभाग द्वारा उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला भिण्ड के माध्यम से रखा
गया। माननीय उच्च न्यायालय, ग्वालियर द्वारा उक्त कंटेम्प्ट पिटिशन में निम्नानुसार निर्देश
पारित कर खारिज की गई :-

*"Since the matter as regards validity of transfer order of petitioner was
under consideration in W.A.1142/2020, this court had clubbed the present contempt
petition along with said WA without issuing any notice to the other side. Said writ
appeal has been decided finally today and therefore this contempt petition is
rendered infructuous and is dismissed as such."*

5. रिट अपील याचिका क्रमांक 1142/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.
01.2021 को पारित निम्नानुसार आदेश समाप्त की गई :-

*this court deems it appropriate to dispose of this appeal with following directions:-
(1) Appellant is directed to make a fresh representation along with copy of this
order to the competent authority, i.e. respondent No-2 – Commissioner, Food Safety
& Controller Food & Drugs Administration, M.P. Bhopal, which if made within a
period of 10 (ten) days from today then the same shall be considered and decided by
the said authority on it's own merits after keeping in mind the physical disability
faced by appellant- (2) It is made clear that while considering the representation the
competent authority shall not be prejudiced by the impugned order of the learned
single judge- (3) Till representation is decided by respondent No-2, interim order
passed by this court on 1/12/2020 shall remain in operation- (4) The impugned
order of learned single judge"*

6. श्री गिरीश राजौरिया का अभ्यावेदन दिनांक 03.02.2021 को कार्यालय में प्राप्त हुआ जो निम्नानुसार है :-

1. अभ्यावेदक की पदस्थापना जिला भिण्ड में दिनांक 05.03.2020 के आदेश के द्वारा की गई थी तथा ज्वाइनिंग माह के छः माह पश्चात् प्रार्थी का स्थानांतरण जिला भिण्ड से लगभग 700 किमी० दूर जिला अनूपपुर किया गया है।
2. अभ्यावेदक की पूर्व की पदस्थापना जिला भिण्ड में मेरे स्वयं के आवेदन पर की गई थी क्योंकि परिवार में पिताजी की अत्याधिक बीमारी के चलते परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी प्रार्थी की ही है यदि इस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता तो प्रार्थी की अपूर्ण्य क्षति होगी।
3. जिला भिण्ड में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तीन और पद रिक्त हैं जहां आसानी से अभ्यावेदक को समायोजित किया जा सकता है। प्रार्थी का सदभावना पूर्ण निवेदन है कि यदि भिण्ड संभव न हो तो निकटस्थ जिले ग्वालियर या मुरैना में पदस्थापना की जा सकती है।
4. अभ्यावेदक प्रमाण-पत्र के अनुसार शासन द्वारा तथा नियम 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग है। ऐसी स्थिति अभ्यावेदक के इस आवेदन पत्र विचार किया जाना अतिआवश्यक है।

7. श्री गिरीश राजौरिया द्वारा निलंबन के विरुद्ध रिट पिटीशन क्रमांक 1382/2020 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में पंजीबद्ध कराई जिसमें परित आदेश दिनांक 28.01.2021 में निम्नानुसार आदेश पारित किया गया :-

"Having heard learned counsel for the parties, respondents are directed to consider the representation (Annexure P/2) and decide the same in accordance with the CCA Rules within a period of 15 days from the date of receipt of certified copy of this order, by passing a reasoned and speaking order. It is made clear that this Court has not expressed any opinion on the merits of the case. The petition, accordingly, stands disposed of."

अतः श्री राजौरिया द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में दिए गए तथ्यों पर विचार किया गया एवं श्री राजौरिया की विकलांगता 50 प्रतिशत होने से तथा म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति का अवलोकन किया गया स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 की कण्डिका 11.14 के अनुसार किन्ही भी कार्यपालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके गृह जिलों में सामान्यतः पदस्थ न करने के निर्देश हैं। श्री राजौरिया तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी हैं। अतः संपूर्ण विचारोपरांत स्थानांतरण आदेश क्रमांक-एक/स्था.-1/26/2020/3833, दिनांक 18.09.2020 में संशोधन एवं निलंबन से बहाल कर श्री गिरीश राजौरिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला भिण्ड

को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दतिया में पदस्थ करते हुए प्रकरण समाप्त किया जाता है। निलंबन अवधि का निराकरण पृथक से किया जावेगा। साथ ही श्री गिरीश राजौरिया को निर्देशित किया जाता है कि वे 5 दिवस में अपनी उपस्थिति कार्यालय उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला दतिया के समक्ष देकर अविलंब इस कार्यालय को अवगत करावें।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, महोदय द्वारा अनुमोदित

(पी.नरहरि) IAS

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा
एवं नियंत्रक
खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

पृ० क्रमांक-एक/स्था.1/26/2020/

2201

भोपाल दिनांक - १५/५/२१

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर जिला भिण्ड/अनूपपुर/दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला भिण्ड/अनूपपुर/दतिया की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन जिला भिण्ड/अनूपपुर/दतिया की ओर सूचनार्थ।
6. जिला कोषालय अधिकारी जिला भिण्ड/अनूपपुर/दतिया की ओर सूचनार्थ।
7. प्रभारी अधिकारी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, म.प्र. ईदगाह हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. शाखा, मु.- भोपाल की ओर विभागीय वेबसाइट में अपलोड हेतु।
10. श्री गिरीश राजौरिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, भिण्ड की सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. लेखा शाखा/स्टोर/स्थापना-1,2,3/वि.जा.शाखा मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा

एवं नियंत्रक

खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश